न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– दावा संख्या (70/94) 06/2019

निर्णय दिनांक :– 24.1.2020

1. स्व. उदाराम पुत्र मघाराम जाति कुम्हार प्रजापत नि. ग्राम कान्धलसर त. सुजानगढ जिला चूरू

1/1 जैसाराम पुत्र स्व. उदाराम
1/2 रामलाल पुत्र स्व. उदाराम
1/3 ईशरराम पुत्र स्व. उदाराम
} जाति प्रजापत नि.गण कान्धलसर तह. सुजानगढ जिला चूरू

... वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सुजानगढ सब तहसीलदार बीदासर

... प्रतिवादी

उपस्थितः–

1. श्री टेकचन्द कटारिया अभि. वादीगण
2. पैरोकार राज

दावा घोषणा एवं चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ती 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कृषि भूमि के घोषणा एवं चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ती हेतु दिनांक 11.5.1994 को सहायक कलक्टर, सुजानगढ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो श्रीमान् जिला कलक्टर, चूरू के आदेश दिनांक 21.8.2007 के द्वारा न्यायालय हाजा को स्थानान्तरण होकर दिनांक 22.10.2009 को प्राप्त हुआ। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. दावा वादीगण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कान्धलसर की रोही में वादी के खातेदारी भूमि ख.नं. 111 रकबा 34 बीघा 04 विश्वा, ख.नं. 120 रकबा 18 बीघा 16 विश्वा व ख.नं. 123 रकबा 32 बीघा 10 विश्वा स्थित है।

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

वादी इस भूमि का एक मात्र खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबन्दी सं. 2049 व नकल अक्स सवंत 2001 सन् 1945 दावे में प्रस्तुत है। वादी के खेत ख.नं. 123 या इसके आसपास कोई गोचर भूमि या जोहड़ पायतन भूमि नही है। इस खेत का रकबा 32 बीघा 10 विश्वा रेकार्ड में दर्ज है तथा वादी के कब्जे में भी 32 बीघा 10 विश्वा ही भूमि है। राजस्व कर्मचारियों ने लापरवाही से इस खेत के बीचो बीच 4 बीघा 6 विश्वा भूमि को गैर मुमकीन गौचर भूमि बनाकर उसके ख. नं. 121, 122 बना दिये गये जबकि वहां पहुचंने के लिए कोई सार्वजनिक रास्ता या पगडंडी नही है। राजस्व महकमे के द्वारा एक ही जमीन को लेकर दो विरोधाभासी नक्शे बनाकर वादी को अपनी ही खातेदारी भूमि में अतिकमी करार दिया जा रहा है। मौके पर 4 बीघा 6 विश्वा भूमि को कम किया जाता है तो ख.नं. 123 का रकबा 32 बीघा 10 विश्वा पुरा नही होता है। गौचर गलत करार दिया गया है। जिसे दुरूस्त कराने का वादी कानूनन हकदार है। ख.नं. 121 व 122 का 4 बीघा 6 विश्वा भूमि का वादी खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी तहसीलदार बीदासर में वादी के खिलाफ 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही कर अतिकमी घोषित करते हुए बेदखली का आदेश व तीन माह की सिविल जेल के आदेश भी पारित किये है। इस आदेश अपीलांट ने न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू में अपील कर स्थगन आदेश जारी करवा रखा है। वादी ने जरिये वकील प्रतिवादी को धारा 80 जाब्ता दिवानी के तहत एक रजिस्टर्ड नोटिस भेजकर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करने की प्रार्थना की थी, परन्तु नोटिस की मियाद गुजरने के बाद भी ख.नं. 123 के राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त नही किया गया है। वादी का कब्जा संवत 2001 से आज तक लगातार बतौर काश्तकार खातेदार के रूप में रहा है। वादी का देहान्त हो चुका है, जिसके वारिसान जेसाराम, रामलाल, इशरराम है। राजस्व रेकार्ड गत ख.नं. 123 में नये बने ख.नं. 121 व 122 का इन्द्राज दुरूस्त कर वादगत भूमि 4 बीघा 6 विश्वा का वादी को पुराने रेकार्ड के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो वादी को ख.नं. 123 व ख. नं. 121 व 122 कुल तादादी 32 बीघा 10 विश्वा रोही कान्धलसर से बेदखली नही करें।

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

3. प्रतिवादी तहसीलदार, सुजानगढ की ओर से जबाबदावा दिनांक 11.1.1996 को प्रस्तुत किया गया। जबाब में कथन है कि जमाबन्दी संवत 2049 के मुताबिक ग्राम कांधलसर के ख.नं. 111 रकबा 34 बीघा 04 विश्वा, ख.नं. 120 रकबा 18 बीघा 16 विश्वा, ख.नं. 123 रकबा 32 बीघा 10 विश्वा कुल रकबा 85 बीघा 10 विश्वा प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज रही है। प्रार्थी द्वारा पुराने खसरों का मिलान क्षैत्रफल प्रस्तुत नही की है तथा ग्राम कान्धलसर का स्थाई निवासी होने का सबूत भी सलग्नं नही किया है। नकल जमाबन्दी में ख.नं. 121 रकबा 06 विश्वा गै.मु. गोचर व ख.नं. 122 रकबा 4 बीघा गै.मु.गौचर का अकंन है तथा पंचायत विभाग के गोचर खाते में दर्ज है। इस भूमि में पहुचनें के लिए रास्ता या पगडंडी नही होने के कारण वादगत 4 बीघा 06 विश्वा भूमि को वादी के नाम दर्ज नही की जा सकती है। नकल नक्शा सन् 1964 में भी इन खसरों की भूमि का रकबा अलग दर्शाया हुआ है। इसलिए वादी का इस भूमि पर कोई कानूनी अधिकार नही बनता है। प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही है। इसलिए दावा वादी खारिज योग्य है।

4. दावे में दिनांक 4.7.1996 को निम्न तनकीहात कायम की गई ।
   1. आया भू प्रबन्ध विभाग द्वारा ख.नं. 121 व 122 गलत रूप से कायम कर गोचर दर्ज किया गया जो प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है ? – जिम्मे वादी
   2. आया वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ चिर निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? – जिम्मे वादी

5. साक्ष्य वादी में पीडब्लू 1 जालुराम, पीडब्लू 2 रेवन्तराम, पीडब्लू 3 उदाराम, के बयान करवाये गये। वादी की ओर से नकल जमाबन्दी सं. 2049 प्रदर्श–1, नकल नक्शा सं. 2002 प्रदर्श–2, नकल नक्शा प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सं. 2049 प्रदर्श–4, नकल गिरदावरी सं. 2031 से 2034 प्रदर्श–5, सं. 2036 प्रदर्श–6, सं. 2038 से 2041 प्रदर्श–7, नकल नोटिस प्रदर्श–8, रसीदात प्रदर्श–9, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–10, खसरा गिरदावरी नकल सं. 2011 से 13 प्रदर्श–11, नकल गिरदावरी प्रदर्श– 12, नकल गिरदावरी सं. 2016 से 19 प्रदर्श–13, नकल गिरदावरी सं. 2020 से 23 प्रदर्श–14, नकल गिरदावरी सं. 2024 से 26 प्रदर्श–15, नकल गिरदावरी सं. 2010 से 12 प्रदर्श–16, नकल गिरदावरी सं. 2010 से 12 प्रदर्श –17 प्रस्तुत की गई है।

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

6. बहस विद्वान अभिभाषकगण एवं पैरोकार राज सुनी गई। पत्रावली एवं राजस्व रेकार्ड का भलीभातिं अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार हैः—

1. तनकी सं. 1:— वादीगण का कथन है कि ख.नं. 123 के आसपास कोई गोचर भूमि नही है। जबकि नकल तरमीम वर्ष 1964 में ख.नं. 121 व 122 की कुल 4 बीघा 06 विश्वा भूमि वाके रोही ग्राम कान्धलसर तहसील सुजानगढ गै.मु. गोचर दर्ज चली आ रही है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार गोचर दर्ज की गई है। वादी स्वंय द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी व अन्य रेकार्ड से भी ख.नं. 121 व 122 की भूमि गै.मु. गोचर दर्ज चली आ रही है। कानूनन गोचर भूमि में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। इसलिए वादीगण का कब्जा काश्त गोचर भूमि में नही माना जा सकता है। यदि कब्जा काश्त है तो भी एक अतिक्रमी के रूप में है। अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।
2. तनकी संख्या 2:— तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्व निर्णित की जा चुकी है। वादीगण वादगत ख.नं. 121 व 122 गै.मु. गोचर के खातेदार नही है। इसलिए प्रतिवादी के विरूद्व चिरनिषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः तनकी संख्या 2 वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकीहात वादीगण के विरूद्व निर्णित हो चुकी है। अतः दावा वादीगण खारिज योग्य है।

आदेश

दावा वादीगण ख.नं. 121 व 122 की कुल 4 बीघा 06 विश्वा भूमि वाके रोही ग्राम कान्धलसर तहसील सुजानगढ गै.मु. गोचर की खातेदारी घोषणा एवं चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति बाबत खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 24.1.2020 को बसरे ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.02.02 16:25:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: